न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00318 RAAJodhpur2019-126RTA223 Chhogaram ors Vs State of Rajasthan etc

01. छोगाराम पुत्र शिवराम जाति विश्नोई
02. रामरख पुत्र शिवराम जाति विश्नोई
दोनो निवासीगण- रामनगर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. श्री गोपाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई
3. श्री प्रहलादराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई
4. श्रीमती बस्तुदेवी पत्नी श्री भगवानराम जाति विश्नोई
5. श्री बीरबलराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
6. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
7. श्री राजूराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
8. श्री पपली पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई
9. श्री शारदा पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई
सभी निवासीगण- रामनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
10. श्री शिवप्रकाश पुत्र श्री पबाराम जाति विश्नोई, निवासी- जम्भेश्वरनगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बिलाड़ा द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 17/2018 छोगाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री शंकरलाल सुखवाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या एक
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिसंबर 2022

. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 17/2018 छोगाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा,तरमीम रेकर्ड दुरुस्ती, नाप, सीमांकन व पत्थरगढी करने बाबत वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 288 कुल रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा, ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा के अनुसार मौकेपर नक्शा ट्रेस में आज दिनांक तक डिमार्केशन नहीं किया, जिससे यह साबित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होता है कि किस पक्षकार की भूमि मौके पर किस स्थान एवं सीमा पर आई हुई है। राजस्व कर्मचारियों को बंटवाड़ा अनुसार नक्शा ट्रेस में डिमार्केशन करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं करने से वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 व 6 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि में नवीन क्रेता रेस्पोडेंट संख्या 10 श्री शिवप्रकाश द्वारा क्रयसुदा भूमि का मौके के नक्शा में भी डिमार्केशन करवा लिया, जबकि मूल खातेदारों की भूमि का आज दिनांक तक डिमार्केशन नही हुआ है। इसलिए इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 14.04.1974 को नायब तहसीलदार के समक्ष बंटवाड़ा करना बताया तो बंटवाड़ा अनुसार मौके पर राजस्व नक्शे में डिमार्केशन भी किया जाना आवश्यक था, अन्यथा बंटवाड़ा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण की प्रॉपर तामील करवाये बिना ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग में गई भूमि के बारे में वादीगण अलग से कार्यवाही करेंगे, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में गलत फाईंडिंग देते हुए तथा वादीगण के अधिवक्ता की गलत रूप से हाजरी लगाते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अगस्त 2019 को निरस्त किया जावे एवं वादी/अपीलांट का वाद विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में दिनांक 14.04.1974 आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया गया था, उक्त बंटवाड़े का नायब तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया तथा बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इंद्राज के आदेश दिये गये। अपीलांट्स द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2016 अनवान छोगाराम बनाम गोपाराम विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जो विधि बाधित होने से खारिज किया गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा होकर पृथक-पृथक तरमीम हो चुकी है। इन सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी विभाजित भूमि के संबंध में <u>अपीलांट/वादीगण</u> द्वारा पुनः वाद पेश किया गया। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध अभिलेख एवं नामांतरकरण संख्या 209 के मुताबिक खातेदार धन्नाराम के वारिसान् तीन पुत्रो रूपाराम, सुखाराम, शिवराम द्वारा नायब तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 14.04.1972 को वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 288 सहित समस्त आराजीयात के संबंध में बंटवाड़ा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। बंटवाड़े में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 288 मूल रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा का रकबा 23.13 बीघा रूपाराम के बंट मे तथा शेष रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा शिवराम के बंट में रखी जाकर नायब तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाकर बंटवाड़ा अनुसार नामांतरकरण संख्या 209 स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 64/2016 प्रस्तुत किया जाकर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ चाही, जो वाद विधि बाधित होने से दिनांक 14.03.2017 को खारिज किया जाना पाया जाता है।

न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अघतन राजस्व रेकर्ड मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 288 बट्टा नंबरान् में विभाजित होकर राजस्व नक्शे में प्रत्येक बट्टा नंबर स्वतंत्र तरमीम अंकित है, जिससे अपीलांट्स का यह उज्र समाप्त हो जाता है कि राजस्व नक्शे में वादग्रस्त भूमि अविभाजित है। खसरा नं. 288/4 रकबा 0.2184 हैक्टेयर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। खसरा नं. 288/10, 288/6, 288/7, 288/8, 288/9 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त होकर वर्तमान में भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अवाप्त सुदा एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार का क्षेत्राधिकार नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 17/2018 छोगाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

01. छोगाराम पुत्र शिवराम जाति विश्नोई
02. रामरख पुत्र शिवराम जाति विश्नोई

दोनो निवासीगण- रामनगर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. श्री गोपाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई
3. श्री प्रहलादराम पुत्र श्री रूपाराम जाति विश्नोई
4. श्रीमती बस्तुदेवी पत्नी श्री भगवानराम जाति विश्नोई
5. श्री बीरबलराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
6. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
7. श्री राजूराम पुत्र श्री भगवानराम जाति विश्नोई
8. श्री पपली पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई
9. श्री शारदा पुत्री श्री भगवानराम जाति विश्नोई

सभी निवासीगण- रामनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

10. श्री शिवप्रकाश पुत्र श्री पबाराम जाति विश्नोई,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी-
जम्भेश्वरनगर,
तहसील लोहावट,
जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बिलाड़ा द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 17/2018 छोगाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 30 दिसंबर 2022 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री शंकरलाल सुखवाल मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी की उपस्थिति होकर हुक्म हुआ कि उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 17/2018 छोगाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया।

30.12.2022
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

30.12.2022
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर